राजेश ... विरूद्ध सुनीता ...

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1363–दो/14

जिला – ...

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	...
...	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी नायब तहसीलदार, ... द्वार प्र0क0 5/अ–70/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 13-1-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य अंतरिम आदेश द्वारा नायब तहसीलदार ने आवेदक द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 6 नियम 17 के तहत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया गया है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । यह प्रकरण सीमांकन के संबंध में है । आवेदक द्वारा आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया और संशोधन करना चाहा उस पर से विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत यह पाते हुए कि आवेदन देने के पूर्व उनके न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17-7-12 के माध्यम से सीमांकन की कार्यवाही की पुष्टि कर दी गई है ऐसी स्थिति में उन्होंने आवेदन औचित्यहीन मानकर निरस्त किया है । विचारण न्यायालय का जो आदेश है वह प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्थान पर उचित और न्यायिक होने से पुष्टि योग्य है । आदेश में ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । (एम.के. सिंह) सदस्य राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर	

दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष सदस्य महोदय, मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र

निगरानी क्र. /2014

राजेश राठौर आत्मज गौरीशंकर, आयु 40 वर्ष,
कृषक ग्राम शेरपुर, निवासी गंज सीहोर (म.प्र.)......निगरानीकर्ता

– वि रू द्ध –

सुनीता राठौर पत्नि अजय राठौर वयस्क,
कृषक ग्राम शेरपुर, निवासी गंज, सीहोर, ... रेस्पांडेंट